15

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 2431-तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 4-6-2014 - पारित व्दारा - अपर कलेक्टर जिला रीवा - प्रकरण कमांक 76 अ-66/2012-13 अपील

रामायण प्रसाद पुत्र कुंजमणि प्रसाद
ग्राम खामडीह तहसील गुढ़ जिला रीवा ——आवेदक

विरूद्ध

इन्द्रपाल विश्वकर्मा पुत्र लालमणि विश्वकर्मा
ग्राम खामडीह तहसील गुढ़ जिला रीवा ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक अभिताभ चतुर्वेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक अनुपस्थित)

आ दे श

(आज दिनांक 06 - 03 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 76 अ-66/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-6-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) गुढ़ जिला रीवा को म0प्र0 वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवेदन देकर ग्राम खामडीह की आराजी कमांक 153/1 के अंश भाग पर मकान बनाकर काविज होने के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाने की मांग की। अनुविभागीय अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) गुढ़ ने प्रकरण कमांक 103 अ-66 मूल/2012-13 पंजीबद्ध किया तथा अनावेदक के आवेदन में अंकित तथ्यों की जांच कराकर आदेश दिनांक 9-5-13 पारित किया तथा अनावेदक के हित में भूमि सर्वे कमांक 153/1 रकबा 0.593 है. के अंश भाग

0.020 है. पर भूमिस्वामी हक प्रदान किया। अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ के आदेश दिनांक 9-5-13 के विरूद्व आवेदक ने अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने प्र.क्र. 76 अ-66/ 2012-13 अपील में पारित आदेश दि. 4-6-14 से अपील निरस्त कर दी। अपर कलेक्टर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने। अनावेदक के अभिभाषक अनुपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदक का वादित भूमि पर म0प्र0 वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1980 के पूर्व से शासकीय अभिलेख में कब्जा अंकित नहीं है। अनावेदक के पिता के नाम से ग्राम में भूमि है जिसके कारण वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने एक ही परिवार के तीन-तीन व्यक्तियों को गलत ढंग से भूमि बांटी है। इस भूमि पर आवेदक का मकान बना है एंव परिवार सहित रह रहा है। पटवारी ने गलत रिपोर्ट लगाई है। पटवारी के कथनों पर प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया है। उन्होंने अपर कलेक्टर एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने की मांग की।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) गुढ़ के आदेश दिनांक 9-5-13 के विरूद्व अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की एंव अपील मेमो में अंकित किया है कि उत्तरवादी भूमिहीन नहीं है उसके परिवार के नाम से भूमि है जिससे धारा 2 ड. वास्थान दखलकार अधिनियम के तहत भूमिहीन की श्रेणी में भी नहीं आता है , किन्तु अनावेदक के अथवा उसके पिता या परिवार के नाम कौनसी भूमि है पुष्टिकरण में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। जहॉ तक अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक 9-5-13 से भूमि सर्वे क्रमांक 153/1 रकबा

0.593 है. के अंश भाग 0.020 है. पर भूमिस्वामी हक प्रदान करने का प्रश्न है ? अनुविभागीय अधिकारी ने वादोक्त भूमि का स्थल निरीक्षण कराया है एंव स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 5-11-12 एंव पंचनामा अनुसार अनावेदक का वर्ष 1980 से इस भूमि के अंश भाग 0.008 में मकान बनाकर रहते आना पाया गया है और यह मकान अनावेदक के पूर्वजों के जमाने से है। अनुविभागीय अधिकारी ने पटवारी रिपोर्ट पर जब राजस्व निरीक्षक गुढ़ से सत्यापन मांगा है, राजस्व निरीक्षक ने प्रतिवेदन दिनांक 15-4-13 में बताया है कि मौके पर इन्द्रापाल विश्वकर्मा का मकान 0.03 कि. पर एंव आबादी निस्तार 0.02 कि. पर अर्थात कुल 0.05 कि. पर मकान है एंव एक कुआ भी बना हुआ है। भूमि आबादी हेतु आरक्षित है अनावेदक का वर्ष 1980 के पूर्व से मकान बना चले आना सत्यापित होने के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 9-5-13 अनावेदक के हित में भूमिस्वामी हक प्रदान किया है जिसके कारण अपर कलेक्टर रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ व्दारा पारित आदेश दिनांक 9-5-13 में एंव अपर कलेक्टर जिला रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 4-6-14 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर जिला रीवा व्दारो प्रकरण कमांक 76 अ-66/ 2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-6-14 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर